बार कौंसिल ऑफ इण्डिया ने किस दबाव में

सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का नियम बदला?

एडवोकेट जब किसी भी प्रकार के दबाव में काम करता है तो वह अपने पवित्र पेशे के साथ समझौता ही करता है और जब इस पेशे को विनियमित करने वाली संस्था ही दबाव/प्रभाव (जायज/नाजायज) में काम करने लगे तो पेशे की स्थिति क्या होगी अंदाजा लगाया जा सकता है।

○डॉ. एस.के. शर्मा, एडवोकेट

भारतीय विधिज्ञ परिषद (Bar Council of India) का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तथा नवीकरण नियम 2014 भारत के राजपत्र में 30 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गया था। इसके प्रवृत्त हो जाने के बाद 30 अप्रैल 2015 से पहले सभी अधिवक्ताओं को अपना नीवीनीकरण कराना आवश्यक हो गया था।

इस नियम के अनुसार हर पांच वर्ष पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का नवीनीकरण अनिवार्य हो गया था। इस बदलाव के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए लिखा गया—

विधिक पेशा एक सम्माननीय पेशा है तथा यह लोगों के नागरिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने एवं बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वतंत्र तथा निडर बार सच्चे तथा स्वस्थ लोकतंत्र को बनाये रखने व बढ़ावा देने के लिए अहम तथा महत्वपूर्ण है। हालांकि जो बार बाह्य शक्तियों के द्वारा हेरफेर तथा प्रभाव के अधीन होते हैं, वे चाहे जितने शक्तिशाली तथा सम्मानित हों, उनके द्वारा विधिक पेशे अथवा विधि के शासन के लिए न्याय नहीं किया जा सकता है। बेंच और बार एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं तथा एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते दुख की बात यह है कि इस पेशे की बहुत अवनति हो रही है।

सभी राज्य बार कांउसिल तथा भारतीय बार कांउसिल के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक में यह चिंता व्यक्त की गयी कि अधिवक्ता अपना पेशा बदल कर अन्य पेशों/सेवाओं/व्यवसायों में राज्य बार काउंसिल को बिना किसी सूचना के लिप्त होते जा रहे हैं और इसका अनुपात चिंताजनक रूप से बढ़ गया है। यह प्रवृत्ति समग्र रूप से विधिक पेशे को खतरे में डाल रही है। इसके कारण जो अधिवक्ता इस पेशे को छोड़ दिया है अथवा उनका निधन हो चुका है, राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित ''अधिवक्ताओं की सूची'' में शामिल हैं। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत, राज्य बार काउंसिल द्वारा धारा 17 के अनुसार तैयार की गयी अधिवक्ताओं की सूची की एक प्रति तथा इसके बाद किये गए परिवर्तन/परिवर्धन भेजने के लिए विधिक दायित्व के अधीन हैं परन्तु व्यावहारिक रूप से किसी राज्य बार काउंसिल ने अब तक अधिनियम के इस अनिवार्य प्रावधान का पालन नहीं किया है।

इन परिस्थितियों में यह प्रवृत्ति निश्चित रूप से प्रदर्शित होती है कि अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत बार संघों व अन्य निर्वाचित निकायों का नियंत्रण विधिक अभ्यास करने वाले अधिवक्ताओं के हाथ से फिसल रहा है। इसके साथ यह भी अनुभव किया जा रहा है कि किसी अधिवक्ता को नामांकन का प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद उनके तथा काउंसिल के बीच व्यावहारिक रूप से कोई संचार और सतत संपर्क नहीं रहता है, जब तक कि उनके विरुद्ध कोई शिकायत न दर्ज की जाए।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों/टिप्पणियोंके आधार पर विधिक पेशे के स्तर में सुधार लाने के लिए लागू की गयी अखिल भारतीय बार परीक्षा भी पूरी तरह से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल सिद्ध हुई। राज्य बार काउंसिल के साथ नामांकित अधिवक्ता ''अभ्यास का अंतरिम प्रमाण पत्र'' (2 वर्षों के लिए वैध) प्राप्त करते हैं एवं तत्पश्चात उनमें से अधिकांश अखिल भारतीय बार परीक्षा अथवा इसको उत्तीर्ण करने की चिंता किये बिना ही विधिक सेवाओं में संलग्र रहते हैं।

राज्य के शासन के साथ ही विभिन्न राज्य बार काउंसिलों तथा भारतीय बार काउंसिल, दोनों के द्वारा भारत में अधिवक्ताओं के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, प्रारंभ की गयीं, परन्तु इनके लाभ आज उनको भी प्राप्त हो रहे हैं जो इस पेशे को छोड़ चुके हैं।

विभिन्न न्यायालयों में विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए कुछ शर्तें रखने की एक अविलंब आवश्यकता है ताकि अधिवक्ताओं द्वारा अर्जित अनुभव को महत्व तथा विश्वसनीयता प्रदान की जा सके।

किसी अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालयों में विधिक अभ्यास प्रारंभ करने से पहले उसे वास्तविक न्यायालय का अनुभव लेने के लिए निचले न्यायालयों/ट्रायल कोर्ट्स में कार्य करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इससे बार की दृष्टि से पूरी न्यायिक प्रणाली को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

इसलिए, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 22 के तहत विभिन्न राज्य बार काउंसिल द्वारा अनुरक्षित अधिवक्ताओं की सूची में शामिल अधिवक्ताओं पर स्थानीय बार संघों तथा भारतीय बार काउंसिल द्वारा बेहतर तथा प्रभावी प्रशासनिक तथा अनुशासनात्मक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए तथा विधिक पेशा छोड़ चुके अधिवक्ताओं के नाम इससे हटाने के लिए भारतीय बार काउंसलि, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धाराओं 49(1) (ag), 49 (ah) 49(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इसे प्रदत्त सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों के द्वारा निम्नांकित नियम बना रही है जिसका शीर्षक ''बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस तथा नवीकरण नियम, 2014'' है तथा जिसका उद्देश्य उक्त अधिनियम के प्रावधानों और उद्देश्यों को लागू करना है।

नियम 2014 में उच्च न्यायालयों में नये अधिवक्ताओं के प्रैक्टिस करने के पहले 2 वर्ष का नीव न्यायालय (Subordinate Court) के प्रैक्टिस का अनुभव अनिवार्य कर दिया गया था तथा उच्चतम न्यायालय में कम से कम 3 वर्ष उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस का अनुभव आवश्यक था तात्पर्य यह कि उच्चतम न्यायालय में प्रैक्टिस करने के लिए उसे Lower Court के 5 वर्षों का अनुभव जरुरी है।

उक्त नियम के प्रवृत्त होने के साथ ही उन लोगों में खलबली मच गयी जिनके होनहार सीधे उच्च न्यायालयों/उच्चतम न्यायालय में सीधे बिना लोअर कोर्ट की दहलीज पर कदम रखे बड़े वकील बन जाते हैं। जाहिर सी बात है किसी गांव गरीब किसान का बेटा तो सीधे ऊंचे न्यायालयों में प्रैक्टिस शुरु करने का साहस नहीं जुटा पायेगा वह तो तहसील से शुरु करके बमुश्किल उच्च न्यायालय तक पहुंचता है उच्चतम न्यायालय तक तो इनमें से विरले ही पहुंचते हैं।

अब नियम ''बार कौंसिल ऑफ इण्डिया सार्टिफिकेट एवं प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (वेरीफिकेशन) नियम 2015'' लाया गया है तथा 13 जनवरी 2015 को गजट नोटिफिकेशन होने के साथ लागू भी हो गया है।

इसके लिए 2 अहम प्रशन यह है कि 2014 वाला नियम एक महीने के अर्न्तगत रद्द क्यों किया गया? उसमें क्या कमी थी? किसने उसका विरोध किया था? इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। हां, इतना अवश्य है कि इस नये नियम में बदलाव करते हुए कुछ श्रेणी के अधिवक्ताओं को इसमें छूट दी गयी है।

एडवोकेटस एक्ट की धारा 16 के तहत् नामित वरीय अधिवक्ताओं और उच्चतम न्यायालय के एडवोकेटस-ऑन-रिकार्ड (Advocates-on-Record) को सत्यापन फार्म दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। वरीय अधिवक्तओं और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को अपने अधिवक्ता संघों के माध्यम से सिर्फ अपने दो पासपोर्ट आकार के फोटो अपने नाम और वर्तमान पते के साथ संबंधित बार काउंसिल को भेजना होगा ताकि बार काउंसिल की मतदाता सूची में उनका नाम शमिल हो सके। इसके लिए अलग से Form-E बना हुआ है।

इसके अतिरिक्त अहम बदलाव अध्याय के नियम 7 में किये गये हैं जो 2014 के नियम को बदलने की अर्न्तकथा बयान करते हैं—

अध्याय	नियम 2014 का	नियम 2015 का
उच्च न्यायालयों में विधिक प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव।		
7.	**विभिन्न न्यायालयों में विधिक प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक शर्तें:**	
	7.1 कोई अधिवक्ता, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, अधिवक्ताओं की सूची में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्राप्त/नवीकृत करके नामांकित हो, उन न्यायालयों में ही विधिक प्रैक्टिस करने के पात्र होंगे जो सेशन न्यायाधीश अथवा जिला न्यायाधीश के समकक्ष हों तथा वे अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के न्यायालय जो उन क्षेत्रों के मामलों के मूल क्षेत्राधिकार से सम्बंधित हों एवं इनसे निचले सभी अन्य न्यायालय।	7.1 यदि किसी राज्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया को यह ज्ञात होता है व साबित होता है कि किसी वकील संघ के किसी पदाधिकारी या किसी भी अधिवक्ता द्वारा जानबूझकर फर्जी लोगों को यह वैसे लोगों को (जो किसी अन्य व्यवसाय नौकरी पेशे आदि में लिप्त हैं) बचाने या उनकी पहचान होने से रोकने की गलत मंशा से, निजी स्वार्थ हेतु अनावश्यक कार्य किया जा रहा है, या इन सुधारकारी नियमों का गलत मंशा से दुश्प्रचार किया जा रहा है, या गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देकर गलत मंशा से लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर इन नियमों के लागू होने में जानबूझकर व्यवधान पैदा किया जा रहा है, तो राज्य बार काउंसिल व बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा गठित ट्रिव्यूनल (प्राधिकरण) द्वारा ऐसे वकीलों पदाधिकारियों को वकील संघ या बार काउंसिल का चुनाव लड़ने से तीन वर्षों तक के लिए वंचित किया जा सकता है।
	7.2 कोई अधिवक्ता, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, तथा नियम 7.1 में वर्णित न्यायालयों, ट्रिब्यूनल्स में कम से कम दो वर्ष विधिक प्रैक्टिस कर चुका हो, उच्च न्यायालय एवं अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के न्यायालय जो उन क्षेत्रों के मामलों से सम्बंधित अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के हों एवं इनसे निचले सभी अन्य न्यायालयों में विधिक प्रैक्टिस करने का पात्र होगा।	7.2 उक्त संदर्भ में कोई भी आदेश सिर्फ एक ऐसे प्राधिकरण द्वारा पारित किया जा सकेगा जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) एक वरीय अधिवक्ता व राज्य बार काउंसिल के एक वरीय सदस्य (राज्य बार काउंसिल द्वारा मनोनीत) होंगे। माननीय अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष होंगे। किसी वकील के विरुद्ध कोई भी आदेश उसको बिना सुने हुए पारित नहीं किया जा सकेगा। अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। प्राधिकार को अंतरिम आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त होगा।
	7.3 कोई अधिवक्ता, जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात, अधिवक्ताओं की सूची में नामांकित हो, तथा नियम 7.2 में वर्णित न्यायालयों में कम से कम तीन (3) वर्ष विधिक प्रैक्टिस कर चुका हो, भारत के उच्चतम न्यायालय में विधिक प्रैक्टिस करने का पात्र होगा, इस पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवृत्त सभी अन्य शर्तें लागू होंगी।	7.3 प्राधिकार के द्वारा पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण बार काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित आदेश के 60 दिनों के अंदर किया जा सकेगा : हॉलांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उचित कारणों पर विलम्ब से दाखिल किये गये अपील या पुनरीक्षण याचिका को 60 दिन की अवधि के बाद भी स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त होगा।

इस प्रकार नये नियम 2015 में जो दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए उनमें पहला नामित वरीय अधिवक्तओं व उच्चतम न्यायालय के एडवोकेट अपने रिकार्ड (A.O.R.) को सत्यापन से छूट देने का है तथा दूसरा उच्च न्यायालयों में विधिक प्रैक्टिस करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव को पूरी तरह समाप्त करने का है तथा तीसरा बदलाव शुल्क को लेकर है जो 500/—के स्थान पर प्रक्रिया शुल्क के रूप में मात्र 100/— लेने का है बाकी 400/— राज्य बार कौंसिल के उपर छोड़ दिया है। अब यदि इस नियम को बनाने के उद्देश्य और प्रवृत्त नियम को देखा जाय तो न सिर्फ दोनों में विरोधाभाष है बल्कि संविधान में प्रदत्त बराबरी के सिद्धान्त का उलंघन भी है। इससे अंकल प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलेगा तथा जूनियर सीनियर के बीच की खाई भी बढ़ेगी।❑